

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10102026-277028
SG-DL-E-10102026-277028असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302]	दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 245
No. 302]	DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948	[N. C. T. D. No. 245

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2026

फा. सं. 6/1/2015/पार्ट फाइल.1/न्यायिक/अधी0विधि/2545-2553.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 20 के प्रावधानों के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं: —

- डॉ० विजय कुमार दहिया तथा श्री उमेश सिंह, जो पहले से ही ठीक नीचे के नियम के अंतर्गत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, को दिनांक 21.09.2026 से नियमित आधार पर प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं; तथा
- श्री निखिल चोपड़ा, श्री पवन कुमार मट्टो तथा सुश्री हिमानी मल्होत्रा को उनके कार्यभार ग्रहण की तिथि से नियमित आधार पर प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
कावेरी बावेजा, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 1st October, 2026

F. No. 6/1/2015/P.F.1/Judl./Suptlaw/2545-2553.—Under the provisions of Section 20 of the Punjab Courts Act, 1918, as in force in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendation of the High Court of Delhi, appoints the following officers of Delhi Higher Judicial Service as Principal District Judges: -

1. Dr. Vijay Kumar Dahiya and Mr. Umed Singh, already Principal District & Sessions Judges under next below rule, as Principal District Judges on regular basis with effect from 21.09.2026; and
2. Mr. Nikhil Chopra, Mr. Pawan Kumar Matto and Ms. Hemani Malhotra as Principal District Judges on regular basis with effect from the dates they take over;

By order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
KAVERI BAWEJA, Principal Secy.